न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 122/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. भीखाराम पुत्र भोमाराम 2. खेताराम गोद पुत्र लालाराम, जाति जाट, निवासी–जेठानिया, तहसील देचू जिला जोधपुर।		1. देवाराम पुत्र चान्दाराम 2. खेताराम पुत्र चान्दाराम 3. सागर देवी पत्नी खेताराम 4. जोगाराम पुत्र देवाराम 5. अचलाराम पुत्र देवाराम 6. शान्ति देवी पत्नी कोजाराम 7. गवरी देवी पत्नी भीखाराम 8. कानाराम पुत्र कोजाराम 9. ताराराम पुत्र कोजाराम समस्त जातियान सुथार, निवासीगण – करणीनगर जेठानिया तहसील देचू जिला जोधपुर। 10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देचू।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी शेरगढ ने प्रकरण संख्या 38/2016 अनवान देवाराम बनाम सरकार में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री उम्मेदसिंह बावरला, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो0 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4 अगस्त, 2022

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोन्डेन्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हमारे खातेदारी के खेत खसरा नंबर 474 रकबा 121 बीघा 1 बिस्वा के पडोसी खातेदार खसरान भूमि की सीमा को लेकर परेशान करते है जिस हेतु सीमांकन एवं पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर रेस्पोन्डेन्टस को तलब कर बहस सुनकर दिनांक 5–7–2019 को आदेश पारित कर दिया गया जिसके विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं भूल की है। रेस्पोन्डेन्टगण के चारो दिशाओ के पडोसी खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना ही प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिस पर अपीलान्ट ने अपने जवाब में एतराज भी किया गया लेकिन उसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस कानूनी बिन्दू पर गौर किये बिना आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त होने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा पेश एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की गई है इस आधार पर भी अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का वक्त सेटलमेन्ट से कब्जा है जिसको पत्थरगढी के आदेश से बेदखल नही किया जा सकता है इस कानूनी बिन्दू पर किसी प्रकार की फाइन्डिंग नही दी जाकर आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में किसी प्रकार का न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग नही किया गया है। ऐसे में आदेश काबिले खारिज होने योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि राज्य सरकार की ओर से दिनांक 1 जुलाई सें 31 अक्टूबर के मध्य तक किसी भी प्रकार से सीमांकन एवं पत्थरगढी करने पर रोक लगी हुई है उसके उपरान्त भी पत्थरगढी का आदेश पारित पारित किया गया वो अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–7–2019 को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.07.2019 के सम्बन्ध में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खेत खसरा संख्या 474 रकबा 121.01 बीघा ग्राम करणीनगर की पत्थरगढी दोनों पक्षों के रूबरू किये जाने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वो विधिसम्मत होने से उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हुई वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम करणीनगर, तहसील शेरगढ के खेत संख्या 474 रकबा 121.01 बीघा भूमि की पैमाइश एकतरफा की गई है। एवं अपीलार्थी की उपस्थिति में पैमाइश नहीं की गई है, चूंकि पैमाइश ही संदेहास्पद है जिसके आधार पर पुरानी माठे व कब्जे के प्रभावित होने की सम्भावना है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन विश्लेषण करने उपरान्त अपीलान्टस की यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपख अधिकारी, शेरगढ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.7.2019 में इस प्रकार से आं संशोधन किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दोनों पक्षकारान को सु बाबत नोटिस तामील करवाया जाकर दोनों पक्षों की उपस्थिति में सीमांकन कार्य जावे तत्पश्चात ही आवश्यक होने पर विधिवत विधिवत पत्थरगढी सम्बन्धी आदेश किया जावें। निर्णय आज दिनांक 4 अगस्त, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर